५

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 11/2023 दायर दिनांकः 20.11.2023

उनवान

1. गुमानसिंह पुत्र ओंकारलाल उर्फ ओंकारसिंह जाति सौंधिया राजपूत निवासी आन्याखेड़ी तहसील पिड़ावा

—अपीलान्ट

बनाम

1. रणजीतसिंह पि. चन्दरसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
2. राजाबाई पुत्री भगवानसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
3. गंगाबाई बेवा भगवानसिंह जाति सौंधिया राजपूत नि. आन्याखेड़ी तहसील पिडावा
4. ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा

— रैस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रैवन्यू एक्ट बाबत निरस्त करने नामान्तकरण संख्या 397 दिनांक 10.08.2020 ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिड़ावा

उपस्थिति अभिभाषक :—

अभिभाषक अपीलांटस :— श्री मसूद अहमद खान

रेस्पोडेन्टस सं. 1 से 4 :— एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 20.02.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि माननीय [illegible] ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा नामातंकरण संख्या 397 ग्राम आन्या[illegible] दिनांक 10.08.2020 को तस्दीक किया गया है [illegible] रैवन्यु एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय अधिनस्त ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना दिए बगैर एवं

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 24.12.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम आन्योखडी नामान्तरण संख्या 397 दिनांक 10.08.2020 की सत्यप्रति, आधारकार्ड की छायाप्रति, अर्जुनसिंह पि. नैनसिंह, तोफानसिंह पि. उदयसिंह का शपथपत्र, पेश किया।

4. अभिभाषक अपीलांटस की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट गुमान सिंह, राजाबाई व गंगा बाई द्वारा ग्राम आन्याखेड़ी तहसील पिड़ावा की भूमि खसरा नं0 71 बाड़ा मे से अपना हिस्सा 15/16 का बेचान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रणजित सिंह पुत्र चन्दर सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2020 को किया था लेकिन रेस्पोडेन्ट रणजित सिंह द्वारा जालसाजी पूर्वक दूषित प्रक्रिया द्वारा झूटी गवाही के आधार पर खसरा नं 71 के स्थान पर खसरा नं 68 का बेचान पंजिकृत करा लिया था जबकि अपीलांट द्वारा खसरा नं0 71 का बेचान कर कब्जा सौपा था। खसरा नं 68 पर आज भी अपीलांट का कब्जा है और मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा उक्त भूमि का बेचान नामान्तरण सं0 397 दिनांक 31.07.2020 निर्णित करते समय बैचान पत्र में अंकित खसरा नं0 एवं मौके का निरीक्षण किये बिना ही खसरा नं0 71 के स्थान पर 68 का नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो कि विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. अभिभाषक अपीलांटस की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम आन्योखडी के नामा.सं. 397 दिनांक 10.08.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है [illegible] 68 रकबा 0.0379 है0 किस्म खेड़ा प्रथम के तीन [illegible] व राजा बाई ने अपने संयुक्त हिस्सा 15/16 का [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2020 से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को किया था जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

21/07/2020 को उपपंजीयक पिड़ावा से बेचान पत्र पंजीबद्ध करवा लिया जो
अपीलान्ट के हितो पर प्रभावहीन है उससे खरीददार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं

Scanned with OKEN Scanner

(7)

आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण सं0 397 दिनांक 31.07.2020 खोलकर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की कोरम के समक्ष पेश किया था जिसे कोरम द्वारा दिनांक 10.08.2020 को स्वीकार किया गया था। अपीलांट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की कोई प्रति या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके अभाव में विक्रय पत्र में बैचान किये गये खसरे का मिलान किया जाना सम्भव नही है। ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त नामान्तरण निर्णित किया गया है। विक्रय पत्र डीड में यदि क्रेता रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा जालसाजी पूर्वक खसरा नं 71 के स्थान पर 68 दर्ज कराकर झूठे गवाहों के आधार पंजियन कराया गया है तो अपीलांट को सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त विक्रय पत्र को खारिज कराने के लिए वाद दायर करना चाहिए। रजिस्टर्ड बैचान का नामान्तरण दर्ज करते समय बिना किसी आपत्ती के मौका निरीक्षण करना ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारिज कराये बिना नामान्तरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक त्रुटि किया जाना प्रतित नही होता है।

6. अपीलांट का यह कथन भी सही नही हैं कि उसने खसरा नं 71 मे से हिस्सा 15/16 का बैचान किया था। ग्राम आन्याखेड़ी का खसरा नं 71 अपीलांट के खाते दर्ज नहीं होकर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के खाते दर्ज है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा उक्त खसरा नं 71 का भूखण्ड पट्टा अपीलांट के नाम जारी कर रखा हो ऐसा काई साक्ष्य भी अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया है और आवासीय भूखण्ड के पट्टे के अभाव में अपीलांट को ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के खाते की भूमि के बैचान को पंजिकृत कराने का कोई हक व अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 भी वादग्रस्त भूमि की विक्रेता है लेकिन अपील केवल अकेले अपीलांट द्वारा की गई है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 द्वारा उक्त बैचान/नामान्तरण पर कोई आपत्ती/जवाब न्यायालय में पेश नहीं किया है।

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तरण 397 दिनांक 10.08.2020 में कोई विधिक त्रुटि साबित नहीं होने से अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

8. परिणामतः ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के नामान्तरण सं0 397 दिनांक 10.08.2020 के विरूद्ध पेश अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/02/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner